306

संख्या– /XXVIII-4-2013-12/2013

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 4 देहरादून : दिनांक 25 मार्च, 2013

विषयः शव–विच्छेदन गृह हरिद्वार के पुनरीक्षित आगणन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/1/16/4237 दिनांक 07.03.2013 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिला चिकित्सालय हरिद्वार में शव–विच्छदेन गृह के भवन निर्माण हेतु आगणन की आंकलित धनराशि ₹ 31.14 लाख के सापेक्ष औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 29.54 लाख (सिविल कार्यो हेतु ₹ 27.96 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्य हेतु ₹ 1.58 लाख) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त ₹ 8.53 लाख के समायोजनोपरान्त देय अवशेष ₹ 21.11 लाख में से वर्तमान में ₹ 20.00 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते है :–

1- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।
2- कार्य कराते समय लो0नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा। कार्य हेतु कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम.ओ.यू. भी अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जायेगा।
3- धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात निर्माण इकाई अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, हरिद्वार उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।
4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्त हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानो में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5- आगणन में उल्लिखित दरो का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों में जो दरे शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, की स्वीकृत नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।
6- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
7- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टताओं के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करता समय पालन करना सुनिश्चित करे।
8- कार्य करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात आवश्कतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

.....2/–

9- आगणन को जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

10- उक्त भवनों के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्कता न पड़े। स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

11- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

12- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV.219(2006) दिनांक 30.05.2006 तथा किसी भी व्यय हेतु अधिप्राप्ति नियमावली वित्तीय संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम तथा अन्य सुसंगत नियम, (बजअ मैनुअल) तथा शासनादेा संख्या–267/XXVIII(1)/2008 दिनांक 27.03.2008 (छायाप्रति संलगन) आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरण/फनीचर्स आदि का क्रय/आवश्यकता/ अनुपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता तय करते हुए नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

13- आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

14- उक्त व्यय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत, 01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 03–शव विच्छदेन गृहो का निर्माण 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जोयगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–307(P)/XXVII(3)2012–13 दिनांक 22 मार्च, 2013 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या– 311 (1)/XXVIII-4-2013-12/2013 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3- कोषाधिकारी, देहरादून।
4- जिलाधिकारी, हरिद्वार ।
5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
6- मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार ।
7- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री ।
9- बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11- गार्ड फाईल।

(अतर सिंह)
उप सचिव